Phone: +91 612 2547371
E mail: pro@biharfoundation.in
https://biharfoundation.bihar.gov.in/

बिहार सरकार

बिहार आज

(बिहार फाउन्डेशन की प्रस्तुति)

दिनांक – 10.09.2020

कोलकाता संग्रहालय में रखे अशोक स्तंभ का शीर्ष लाया जायेगा बिहार

पटना. राज्य सरकार ने एक बार फिर कोलकाता में रखे अशोक स्तंभ के शीर्ष को बिहार लाने की कवायद शुरू की है. कला संस्कृति एवं युवा विभाग के वरीय अधिकारियों के बीच बुधवार को हुई बैठक में इस मामले में दोबारा से पहल करने पर निर्णय लिया गया. विभागीय मंत्री के स्तर पर पत्राचार करने का निर्णय लिया गया है. अधिकारियों के मुताबिक विभाग की ओर से संस्कृति मंत्रालय के सचिव को 10 दिसंबर, 2018 को पत्र के माध्यम से अनुरोध किया था. बावजूद इसके वहां से किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं मिला और काम की गति धीमी हो गयी थी. जिसे दोबारा से तेज किया गया है. वहीं, इस शीर्ष को बिहार में रखने का निर्णय पूर्व में ही लिया जा चुका है. 2018 में विभाग की ओर से पत्राचार किया गया. इसके बाद जब अधिकारियों ने भारत सरकार के संस्कृति विभाग से बात की गयी, तो वहां से कहां गया कि कई संग्रहालयों में दूसरे राज्यों का धरोहर को रखा गया है. अगर सभी राज्य अपनी धरोहरों की मांग करने लगे, तो मुश्किल हो जायेगी. इसके बाद बिहार से वरीय अधिकारियों ने कुछ राज्यों का उदाहरण दिया. जहां से दूसरे राज्यों की मांग पर उनकी धरोहर को उनके संग्रहालय में रखने के लिए वापस किया गया है.

> कोलकाता में रखे अशोक स्तंभ को लाने के लिए दो साल पहले पत्राचार किया गया था. इस दिशा में दोबारा से विभागीय स्तर पर काम किया जा रहा है.
>
> **रवि मनु भाई परमार**, प्रधान सचिव, कला संस्कृति विभाग.

BIHAR FOUNDATION

हाइकोर्ट ने हटायी रोक • **समाहरणालय का मुख्य भवन जी प्लस 4 व दो अन्य भवन जी प्लस 3 होंगे**

पटना समाहरणालय भवन निर्माण का रास्ता हुआ साफ

निर्माण जल्द

संवाददाता ▷ पटना

पटना समाहरणालय भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. पटना हाइकोर्ट ने निर्माण पर लगी रोक को हटा लिया है. साथ ही एक अरब, 53 करोड़, 53 लाख, 14,509 की लागत से बनने वाले पटना समाहरणालय भवन का निर्माण कार्य जल्द शुरू हो जायेगा. संभावना यह जतायी जा रही है कि पितृपक्ष 17 को खत्म हो जायेगा व 18 सितंबर से नये भवन का काम शुरू कर दिया जायेगा. इसके पूर्व वहां मौजूद एसडीओ कार्यालय व अन्य कार्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट किया जायेगा. हालांकि, कोषागार व एनआइसी भवन अंत में तोड़ा जायेगा. इसके कारण कोषागार व एनआइसी का कार्यालय फिलहाल मौजूद रहेगा. साथ ही रिकॉर्ड रूम भी फिलहाल इधर-उधर स्थानांतरित नहीं किया जायेगा. नये भवन को बनाने के लिए बैरिकेडिंग का काम पहले शुरू किया जायेगा. साथ ही निर्माण करने वाली रांची की कंस्ट्रक्शन कंपनी को भवन निर्माण विभाग की ओर से वर्क ऑर्डर भी सौंप दिया जायेगा. डीएम कुमार रवि ने बताया कि पटना समाहरणालय भवन का जल्द से जल्द निर्माण करने का निर्देश दिया गया है.

चार लाख वर्ग फुट में बनेगा पटना समाहरणालय भवन : पटना समाहरणालय भवन चार लाख वर्ग फुट में बनाया जायेगा. इसमें पटना समाहरणालय का मुख्य भवन जी प्लस 4 होगा. जबकि, दो अन्य भवन जी प्लस 3 होंगे. ये दोनों भवन मुख्य भवन के अगल-बगल होंगे. मुख्य भवन में डीएम के चैंबर के साथ ही उनसे जुड़े तमाम कार्यालय होंगे.

क्या-क्या होगी व्यवस्था

- **पार्किंग** : बेसमेंट व खुले में पार्किंग बनायी जायेगी. बेसमेंट में 240 गाड़ियां लग सकेंगी. खुले पार्किंग स्थल में 205 गाड़ियां लग सकेंगी. तीनों ही भवनों में पार्किंग होगी. सभी एक-दूसरे से जुड़े रहेंगे.
- **सुरक्षा** : सीसीटीवी सर्विलांस तीनों भवनों में रहेगा. इंट्री व एग्जिट पर भी सुरक्षा को लेकर उपकरण लगेंगे.
- **ऑफिस व कमरों की संख्या** : मुख्य भवन में डीएम का चैंबर सबसे ऊपरी तल्ले पर होगा और 39 विभाग के लिए कमरे होंगे. दूसरे भवन में एसडीओ व डीडीसी कार्यालय का अलग-अलग इंट्री गेट होगा. जिला परिषद कार्यालय भवन में अलग-अलग इंट्री व एक्जिट गेट होंगे और वहां कैंटीन, वेंडरों की दुकान व बैंक आदि के लिए जगह रहेगी.
- **सेंट्रली एयरकंडीशंड** : सभी चैंबर व कॉन्फ्रेंस रूम एयर कंडीशंड होंगे. इसमें वीआरवी सिस्टम लगाया जायेगा.
- **बिल्डिंग के अंदर सुरक्षा की व्यवस्था** : सीसीटीवी सर्विलांस, फायर अलार्म सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, भूकंपरोधी संरचना, इमरजेंसी में बाहर निकले की व्यवस्था
- **कॉन्फ्रेंस हॉल** : तीनों भवनों में अलग-अलग कॉन्फ्रेंस हॉल बनाये जायेंगे. एक हॉल में 200 सीट, दूसरे में 80 सीट व तीसरे में 40 सीटों की व्यवस्था होगी.

हेरिटेज भवन बता कर दायर किया गया था पीआइएल : पटना समाहरणालय भवन को हेरिटेज भवन बताकर एक संस्था ने हाइकोर्ट में पीआइएल दायर किया था और बिल्डिंग को नहीं तोड़ने का आग्रह किया था. इसके कारण एक साल से अधिक समय से भवन निर्माण की कार्रवाई नहीं हो पायी. जबकि, टेंडर भी निकाला जा चुका था.

लंबे समय बाद पार्क व जू में दिखी रौनक

मिली राहत

संवाददाता, पटना

लंबे समय के बाद एक बार फिर पटना वासियों को जू में सुबह की सैर करने का मौका मिला. बुधवार को शहर के सभी पार्क और पटना जू खुल गये. कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के कारण लॉकडाउन के समय से ही जू बंद था. हालांकि पटना जू में सिर्फ वनस्पति विभाग ही खुला था. जहां लोग सुबह की सैर कर सकेंगे. यहां सुबह 5:30 बजे से लेकर 11:00 बजे तक ही समय बिताने का मौका मिल रहा है.

दो शिफ्टों में खुले पार्क : शहर के सभी पार्क भी खुल चुके हैं. बुधवार को कई लोग सैर-सपाटा करते दिखे. बता दें कि शहर के सभी पार्क दो शिफ्टों में खोले गये हैं. पहली शिफ्ट सुबह 5:30 से लेकर 11:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट शाम 4:00 बजे से लेकर 7:00 बजे तक है. कोविड-19 के प्रकोप के कारण पार्क और जू खुलने के बावजूद पटना जू में 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग व 10 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है. बता दें कि जू या अन्य पार्कों में सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण वाले लोगों को प्रवेश नहीं मिल रहा है. थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है. पटना जू व पार्क में जगह-जगह पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गयी है.

सुबह की सैर करने आये लोग.

गांधी मैदान आम लोगों के लिए खुला

पटना . गांधी मैदान आम लोगों के लिए खोल दिया गया है. लेकिन यहां केवल मॉर्निंग व इवनिंग वॉक की इजाजत दी गयी है. मैदान के अंदर बैठक करने या भीड़ लगाने पर फिलहाल प्रतिबंध है. कई दिनों के बाद गांधी मैदान खुलने पर आसपास के लोगों ने मॉर्निंग व इवनिंग वॉक का आनंद उठाया. इसके साथ ही मैदान की सफाई कार्य भी की जा रही है. यहां सोशल डिस्टैंसिंग के नियमों व मास्क के प्रयोग का पालन कराने के लिए सुरक्षाकर्मियों की भी तैनाती की गयी है.

BIHAR FOUNDATION

BIHAR FOUNDATION

आइएसबीटी. मुख्यमंत्री इसी माह करेंगे अंतरराज्यीय बस टर्मिनल का उद्घाटन

परिवहन से प्रबंधन का काम करेगी सोसाइटी

गठन

संवाददाता, पटना

कैबिनेट की स्वीकृति के बाद राज्य में बन कर तैयार हो चुके पहले अंतरराज्यीय बस टर्मिनल के लिए सोसाइटी का गठन किया गया है. सोसाइटी आइएसबीटी के संचालन के साथ वहां संचालित होने वाले व्यावसायिक गतिविधियों का प्रबंधन भी देखेगी. बुधवार को नगर विकास व आवास विभाग के सचिव आनंद किशोर ने कहा है कि अंतरराज्यीय बस टर्मिनल का बेहतर व व्यवस्थित ढंग से संचालन अंतरराज्यीय बस टर्मिनल सोसाइटी, पटना करेगी. नवनिर्मित अंतरराज्यीय बस टर्मिनल के बेहतर व व्यवस्थित संचालन और रखरखाव के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत राज्य सरकार के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में एक सोसाइटी का गठन किया गया है. सोसाइटी का नाम अंतरराज्यीय बस अड्डा, पटना सोसाइटी (जो आइएसबीटीपी सोसाइटी के रूप में संदर्भित होगी) बिहार सरकार सोसाइटी की प्रायोजक होगी. सोसाइटी का निबंधित कार्यालय विकास भवन अवस्थित नगर विकास व आवास विभाग का कार्यालय होगा.

सोसाइटी का परिचालन क्षेत्र संपूर्ण बिहार राज्य होगा. गौरतलब है कि 339 करोड़ से अधिक की लागत से अंतरराज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण लगभग पूरा है. मुख्यमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन इसी माह किया जा सकता है.

सोसाइटी के काम : यातायात प्रबंधन, बसों का संचालन तथा आइएसबीटी के अनुश्रवण संबंधित सभी कार्य, वहां निर्मित होने वाले वाणिज्यिक परिसर में सभी दुकानों व अन्य परिसंपत्तियों के आवंटन से संबंधित सभी कार्य, नागरिक सुविधाओं जैसे पेयजल, प्रदर्शन कक्ष, प्रतीक्षालय आदि का संचालन व प्रबंधन. सुरक्षा प्रबंधों जैसे सीसीटीवी, अग्निशामक यंत्रों, आपातकालीन निकास मार्गों की सुरक्षा, संचालन तथा अनुश्रवण. वाणिज्यिक उपयोग संबंधी कार्यों के लिए शुल्क निर्धारण. उपर्युक्त के अलावे आइएसबीटी के संचालन, संपोषण तथा अनुश्रवण के लिए आवश्यक सभी काम सोसाइटी की ओर से किये जायेंगे.

ऐसे संचालित होगी सोसाइटी

लगभग तैयार हो चुका है अंतरराज्यीय बस टर्मिनल.

- **नगर विकास व आवास विभाग के सचिव आनंद किशोर ने दी जानकारी**
- **पटना प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी, सोसायटी के उपाध्यक्ष होंगे**

सोसाइटी की शासी निकाय के अध्यक्ष नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव या सचिव होंगे. वहीं, पटना प्रमंडलीय आयुक्त व डीएम, पटना उपाध्यक्ष होंगे. सदस्य सचिव के रूप में बुडको के प्रबंधक निदेशक, परिवहन विभाग व पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव या सचिव या उनके द्वारा संयुक्त सचिव स्तर के मनोनीत प्रतिनिधि, पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक (यातायात) पटना, नगर आयुक्त व क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव होंगे. शासी निकाय की बैठक अध्यक्ष की ओर से निर्धारित समय व स्थान पर सामान्यत: तीन माह के अंतराल पर आहूत की जायेगी, परंतु प्रत्येक वर्ष में कम-से-कम एक बैठक अवश्य होगी. अध्यक्ष चाहें, तो शासी निकाय की असाधारण बैठक आहूत कर सकते है. सोसाइटी की एक कार्यकारिणी समिति होगी. जिसके अध्यक्ष पटना के डीएम होंगे. वहीं उपाध्यक्ष पटना के नगर आयुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, पुलिस अधीक्षक यातायात व जिला परिवहन पदाधिकारी होंगे. सदस्य सचिव के रूप में कार्यपालक अभियंता (प्रभारी आइएसबीटी), बुडको के साथ पेसू के महाप्रबंधक व कार्यपालक अभियंता (पटना सिटी प्रमंडल), पथ निर्माण विभाग, पटना इस समिति में शामिल होंगे.

बिहार फाउन्डेशन नेटवर्क

क्र०स०	विदेश अवस्थित चैप्टर
1	कतर
2	जापान
3	यू०ए०ई०
4	बहरीन
5	कनाडा
6	ऑस्ट्रेलिया
7	दक्षिण कोरिया
8	हॉग कॉग
9	सिंगापुर
10	न्यूजीलैंड
11	यू०एस०ए०
12	सऊदी अरब

क्र०स०	देश अवस्थित चैप्टर
1	मुम्बई
2	चेन्नई
3	कोलकाता
4	हैदराबाद
5	नागपुर
6	वाराणसी
7	पुणे
8	गुजरात
9	गोवा

पाठकों से अपील बिहार फाउंडेशन से जुड़ें

बिहार फाउंडेशन उद्योग विभाग के अन्तर्गत राज्य सरकार की एक निबंधित सोसाईटी है जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के बाहर बसे देश-विदेश अवस्थित बिहारी समुदायों को उनके स्वयं के बीच तथा गृह राज्य के साथ जोड़ने का है. वर्तमान मे बिहार फाउंडेशन के कुल 21 चैप्टर्स हैं. बिहार फाउंडेशन से जुड़ने के लिए नीचे दिए वेबसाइट पर जाकर Non Resident Bihari Registration पर क्लिक करें और उपलब्ध फार्म को भरकर जमा करें:- https://biharfoundation.bihar.gov.in.